9

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) विशिष्ट श्रेणी, कोटा (राजस्थान)

प्रस्ताव संख्या : 38 **दिनाक : 09/01/2018**

सचिव ने प्रशासक महोदय को अवगत कराया गया कि मण्डी यार्ड के दक्षिण की ओर वर्तमान यार्ड से सटी हुई वन विभाग की भूमि में से 96.00 हैक्टे0 भूमि वन विभाग से आवंटित कराये जाने हेतु उक्त आवंटित होने वाली वन भूमि का विकास करने हेतु 5.00 करोड रूपये आरक्षित किया जाना है ताकि केन्द्र से वन भूमि आवंटित होने पर आवंटित भूमि का विकास कार्य आदि करवाया जा सके। उक्त 96 हैक्टे0 में से 22 हैक्टे0 वन भूमि पर मण्डी समिति पूर्व से ही काबिज है। जबकि मण्डी समिति द्वारा पूर्व में रीको से भूमि क्रय की गई थी। अतः वर्तमान में दक्षिण की ओर सटी हुई 74 हैक्टे0 भूमि तथा पूर्व में काबिज 22 हैक्टे0 भूमि कुल 96 हैक्टे0 भूमि पर आवश्यक कार्य कराने हेतु राशि 5.00 करोड रूपये आरक्षित किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पारित किए जाने का निर्णय लिया जाना है।

निर्णय :– बाद विचार विमर्श उक्तानुसार 96 हैक्टे0 वन भूमि कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया जाता है कि केन्द्र सरकार के वन विभाग से उक्तानुसार वन भूमि आवंटित होने पर उसका विकास कार्य करने हेतु 5.00 करोड रूपये जो आरक्षित किये है। नियमानुसार स्वीकृति जारी की जाती है। इसके साथ ही सचिव को अधिकृत किया जाता है कि वह इस बाबत अन्य नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करावें।

- Sd -	- Sd -
(एस.डी. मीना)	(डॉ0 आर.पी. कुमावत)
प्रशासक	सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा	कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज)
विशिष्ट श्रेणी, कोटा

(16)

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, विशिष्ट श्रेणी, (अनाज) कोटा (राज॰)

क्रमांक : वनविभाग / 2017 / दिनांक : 11 / 01 / 2018

अण्डर टेकिंग

सचिव कृषि उपज मण्डी समिति तथा जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान कृषि उपज मण्डी में किसानों की कृषि उपज की अत्यधिक आवक होने से हमेशा स्थान की कमी महसूस की जाती रही है और इससे लॉ एण्ड आर्डर यातायात एवं अन्य समस्याऐं खडी हो जाती है जिससे आये दिन मण्डी प्रांगण छोटा पड जाने से समस्या आती है। इस समस्या के समाधान हेतु सभी ने मिल कर मण्डी एक्सटेन्शन के लिए प्रस्ताव रखा तथा काफी सोच विचार कर वर्तमान मण्डी के पास अन्य भूमि उपलब्ध नहीं होने अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने तथा मात्र प्रस्तावित भूमि ही सभी प्रकार से उपयुक्त होने के कारण न्यूनतम भूमि के उपयोग करने के सिद्धान्त पर 96 हेक्टेयर वन भूमि प्रस्तावित की गई है जिसमें से 22 हेक्टेयर वर्तमान में मण्डी प्रांगण तथा 74 हेक्टेयर प्रस्तावित एक्सटेन्शन है।

यद्धपि यह भूमि मण्डी विशिष्ट श्रेणी की राजस्थान की बडी मण्डी है। हमेशा स्थान की कमी होने से प्रशासन एवं मण्डी परेशान रहते हैं। आस पास कोई गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है, जो 96 हेक्टेयर वन भूमि मण्डी के लिए प्रस्तावित है वह कम से कम भूमि उपयोग के सिद्धान्त पर न्यूनतम भूमि का प्रस्ताव प्रेषित किया है, जो न्यूनतम आवश्यक है।

—Sd—
(डा0 आर॰पी॰ कुमावत)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
(अनाज) कोटा

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज)
विशिष्ट श्रेणी, कोटा

11

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, विशिष्ट श्रेणी, (अनाज) कोटा (राज॰)

क्रमांक : वनविभाग / 2017 / दिनांक : 10 / 01 / 2018

अण्डर टेकिंग

विषय :— वन विभाग से भूमि आवंटित होने पर राशि 5.00 करोड रूपये व्यय करने के संबंध में।

मण्डी यार्ड के दक्षिण के ओर वर्तमान यार्ड से सटी हुई वन विभाग की 96.00 हैक्टे0 भूमि को केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त होने पर उसके विकास कार्य करने हेतु 5.00 करोड रूपये जो मण्डी समिति द्वारा प्रस्ताव संख्या 38 दिनांक 09.01.2018 से आरक्षित किये गये हैं को नियमानुसार स्वीकृति जारी कर विकास कार्य करवाये जावेगें।

— Sd —
(डा0 आर॰पी॰ कुमावत)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
(अनाज) कोटा

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज)
विशिष्ट श्रेणी, कोटा